प्रभाग 18

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभि० एडवोकेट। अपीलार्थ के अभि० ने आज एक प्रा०पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है। तथा अपी० अब अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रा०पत्र पर अपी० के एडवो श्री मुकेश व्यास ने हस्ताक्षर किये साथ ही अपीलार्थ के पुत्र वानू सैनी एवं जगदीश सैनी ने भी प्रा०पत्र पर हस्ताक्षर किये इस आशय पर भी अभि० अपीलार्थ, अपीलार्थ के पुत्र व रेस्पो० के अभि० श्री सुनील कुमार कालानी ने भी हस्ताक्षर किये।

अतः अपील अपीलार्थ उभयपक्षों में राजीनामा होने के कारण एवं अपील आगे नहीं चलाने के कारण, उसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि० 24/5/18 को सुनाया गया।

24/5/18

जगदीश सैनी (पुत्र) (प्रथम)

(मुकेश व्यास एडवोकेट)

(सुनील कुमार कालानी एडवोकेट)

श्रीमान जी पत्रावली 68 से मेरी 25/5/18